...जाते रहे हैं। दरअसल, कई आश्रम और धार्मिक संस्थानों ने बहुत अच्छा काम किया है। सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन किशोर न्याय अधिनियम के तहत बनाई गई बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) द्वारा बच्चों के घरों के निरीक्षण हों।

हिन्दुस्तान 01/9/17

एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

पंजीकृत कार्यालय : ए–223, ओखला आद्योगिक क्षेत्र, फेस–1 नई दिल्ली–110020
सीआईएनः U74899DL1978NPL008877 टेलीफैक्स : 011-40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

सूचना

दिनांक 29.07.2017 की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में निर्धारित कार्यों के लेन–देन हेतु काउंसिल की 38वीं एजीएम, बृहस्पतिवार, 28 सितम्बर, 2017 को दोपहर 12:00 बजे निर्यात भवन (एफआईईओ कार्यालय भवन), राव तुलाराम मार्ग, सामने आर्मी हॉस्पिटल एण्ड रेफरल, नई दिल्ली – 110057 में आयोजित की जायेगी। 38वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2016–17 की वार्षिक रिपोर्ट एवं उपस्थिति पर्ची सहित रिमोट ई–मतदान हेतु निर्देश उन सभी सदस्यों के पास ई–मेल के द्वारा भेज दिये गये हैं, जिनके ई–मेल आईडी काउंसिल में पंजीकृत हैं। कथित दस्तावेजों की कागजी प्रति भी सभी सदस्यों के पंजीकृत पते पर स्पीड़ पोस्ट के माध्यम से भी भेज दी गयी है। सदस्य ध्यान दें कि काउंसिल के सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक हो चुकी है। अतः कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) संशोधन, नियम 2015 के नियम 20(2) के साथ पठित धारा 108 के अनुसार 38वीं वार्षिक आम बैठक में किये जाने वाले समस्त प्रस्ताव, ई–मतदान के माध्यम से सम्पन्न होंगे। तदनुसार, निवेदन है कि काउंसिल की वेबसाइट अर्थात www.aepcindia.com पर ***"Rules of E-Voting for the resolutions other than the election of Executive Committee members"*** एवं ***"Rules for Election of Executive Committee Members*** देखें।

यह भी ध्यान दें कि ई–मतदान/रिमोट ई–मतदान की प्रक्रिया में कोई सदस्य अपने स्थान पर किसी अन्य को बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु नियुक्त नहीं कर सकता है क्योंकि एजीएम स्थल को छोड़कर किसी भी स्थान से इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान का संचालन करने वाली एजेंसी द्वारा प्रत्येक मतदाता सदस्य को अलग से उपलब्ध कराये गये यूनिक "यूजर नेम" एवं "पासवर्ड" के प्रयोग द्वारा रिमोट ई–मतदान के माध्यम से मतदान किया जा सकता है।

कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु चुनावी नियम के नियम 11 तथा एलपीए सं. 368/2016 एवं सीएम सं. 31009/2016 में Affordable Exports V/s Apparel Export Promotion Council & Ors शीर्षक में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.04.2017 के आदेशानुसार, एईपीसी सदस्य कार्यकारी समिति के कार्यालय का चुनाव लड़ने हेतु अपने नामांकन 14.09.2017 को कार्यालय समय की समाप्ति से पूर्व रु. 1,00,000/– (रुपये एक लाख मात्र) जमा राशि के साथ जमा करा सकते हैं। यह जमा राशि केवल ऐसे सदस्यों को वापस की जायेगी जो या तो कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुनाव में सफल हो गये हों अथवा ई–मतदान द्वारा किये गये कुल वैध मतदान के 25 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए हों।

पुनः, कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव हेतु चुनाव नियम के नियम 14 के अनुसार, फॉर्म–II में कोई सदस्य व्यक्तिगत/स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कोरियर द्वारा नामांकन पत्र पर किये गये हस्ताक्षर की भाँति हस्ताक्षर करके, कार्यकारी समिति के सदस्य का चुनाव लड़ने से अपना नामांकन वापस ले सकता है। ऐसे विड्राल, काउंसिल के पंजीकृत कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय पर 17.09.2017 अर्थात नामांकन की अन्तिम तिथि से तीन दिनों के अंदर पहुँच जाने चाहिए। यदि उपर्युक्त निर्धारित समयावधि में नामांकन का विड्राल किया जाता है तो नामांकन हेतु जमा की गयी राशि वापस कर दी जायेगी।

चुनाव लड़ने वाले सदस्य, कृपया काउंसिल द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए तैयार किए गए चुनाव नियमों और नामांकन फार्म व चुनाव के लिए अन्य विवरण को काउंसिल की वेबसाइट अर्थात www.aepcindia.com पर उसे देख लें और उसे डाउनलोड कर लें।

हैण्डबुक ऑफ प्रोसीजर [1 अप्रैल, 2015–31 मार्च, 2020] के पैराग्राफ 2.91 एवं 2.92 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के उपबंधों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20, जिसे कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियमावली, 2015 (नियमावली) द्वारा यथासंशोधित के उपबंधों के अनुसार, काउंसिल, अपने सदस्यों को ई–मतदान की सुविधा उपलब्ध करायेगी ताकि सदस्य एजीएम की सूचना में निहित समस्त प्रस्तावों पर 38वीं एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपना मतदान करने में समर्थ हो सकें।

एजीएम स्थल को छोड़कर, किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक मतदान (रिमोट ई मतदान) प्रणाली का उपयोग करने वाले सदस्यों द्वारा अपने मतदान की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा प्रदान की जायेगी।

अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के नियम 20 का विवरण नीचे दिया गया है :–

(क) कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव सहित एजीएम की सूचना में समाहित समस्त संकल्प केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा ही परिचालित होंगे।

(ख) रिमोट ई–मतदान, सोमवार, 25 सितम्बर, 2017 को प्रातः 09.00 बजे प्रारम्भ होगा और बुधवार, 27 सितम्बर, 2017 को सायं 5.00 बजे समाप्त होगा। 27 सितम्बर, 2017 को 5.00 बजे सायं के पश्चात रिमोट ई–मतदान की अनुमति नहीं होगी।

(ग) रिमोट ई–मतदान एवं एजीएम के दौरान होने वाले मतदान के लिए, पात्रता निर्धारण हेतु कट–ऑफ तिथि बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2017 है और जिन सदस्यों के नाम काउंसिल के रजिस्टर में कट–ऑफ तिथि तक रिकॉर्ड किये गये हैं, केवल वही सदस्य रिमोट ई–मतदान तथा एजीएम के दौरान मतदान की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) जो व्यक्ति सूचना भेजे जाने के पश्चात, कट–ऑफ तिथि अर्थात बृहस्पतिवार, 21 सितम्बर, 2017 तक सदस्य बने हैं, वे evoting@nsdl.co.in पर एक निवेदन भेजकर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

(च) सदस्यों से निवेदन है कि वे मतदान करने से पूर्व 38वीं एजीएम की सूचना के नोट में दिये गये ई–मतदान हेतु विस्तृत निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

(छ) एजीएम की सूचना, काउंसिल की वेबसाइट अर्थात www.aepcindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

(ज) किसी पूछताछ के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों हेतु उपलब्ध फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन्स (एफएक्यू) तथा सदस्यों के रिमोट ई–मतदान यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा एनएसडीएल के पास निःशुल्क दूरभाष 1800-222-990 पर बात कर सकते हैं। आप ई–मतदान से सम्बन्धित अपनी पूछताछ/शिकायतें evoting@nsdl.co.in पर भी भेज सकते हैं।

(झ) इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से मतदान की सुविधा, एजीएम के दौरान भी उपलब्ध होगी और जिन सदस्यों ने रिमोट ई–मतदान द्वारा मतदान नहीं किया है वे एजीएम के दौरान अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। किन्तु रिमोट ई–मतदान द्वारा मतदान करने के उपरान्त, एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को पुनः एजीएम में किसी संकल्प हेतु मतदान करने की अनुमति नहीं होगी।

पुनः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर, एजीएम के उद्देश्य हेतु 22.09.2017 से 28.09.2017 (दोनों तिथियाँ सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे।

कृते एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
(संजीव मल्होत्रा)
डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एवं सेक्रेटरी

दिनांक : 31/08/2017
स्थान : नई दिल्ली